फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मु. बरदी पुत्री सौलाल जाट निवासी चाकुड़ा, तहसील कपासन वगैरा

बनाम

ऊँकार लाल पिता छोगालाल जाट निवासी रणवों का खेड़ा, तहसील कपासन

प्रकरण संख्या 16/2017 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट्स अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। रूक–रूक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट्स तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी पर भी अधिवक्ता अपीलांट्स अनुपस्थित रहे हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट्स तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	